न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री मांगीलाल रेगर आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या–2/2019(आरटीए 212)

दायर दिनांक–22.3.2019
आदेश दिनांक–13.5.2019

अनवान

1–श्री मनोज पिता चुन्नीलाल कलाल निवासी चितरी
2– सुश्री महीमा पिता चुन्नीलाल कलाल
3–श्रीमती कलावती बेवा चुन्नीलाल कलाल
4– श्री दिनेशचन्द्र पिता नारायण कलाल
5– श्रीमती राधा पिता नारायण कलाल पत्नि नाथू कलाल नि. मन्जारिया खेरवाडा जिला उदयपुर
6– श्रीमती माणक पिता दलजी कलाल पत्नि मंगलजी कलाल हाल निवासी करावाडा जिला डूँगरपुर

(प्रार्थीगण)

बनाम

1– हर्ष शिक्षा सेवा संस्थान बडगी जरिये संचालक श्री दिनेश पिता लालशंकर पाटीदार नि. बडगी तहसील गलियाकोट
2– श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार गलियाकोट

(अप्रार्थीगण)

वकील प्रार्थीगण– श्री निखिल सोमपुरा

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगकिण के विरूद्ध एक वाद पत्र प्रथक से प्रस्तुत किया है जिसमें सफलता मिलने का विश्वास बताते हुए इस प्रार्थना पत्र में बताया है कि प्रार्थीगण गांव चितरी एंव अप्रार्थीगण गांव बडगी का निवासी है । प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि मौजा चितरी में स्थित है । प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भसूमि मौजा चितरी पटवार क्षेत्र चितरी भूअभिलेख निरीक्षक चितरी तहसील गलियाकोट में खाता संख्या 810/765 कुल खसरा 05 कुल रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा एंव खाता संख्या 811/766 कुल खसरा नम्बर 05 कुल रकबा 04 बीघा 04 बिस्वा की स्थित हहोकर प्रार्थीगण काबिज हो उसका उपयोग उपभोग व काश्त पीढी दर पिढी करते आ रहे है।

यह कि प्रार्थीगण के खाता संख्या 810/765 के खसरा नम्बर 3105 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा एंव खाता संख्या 811/766 के खसरा नम्बर 3102 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा की भूमि के पूर्व तरफ सटकर ही खसरानम्बर 3101 रकबा 05 बीघा 14 बिस्वा की भूमि है जिसे अप्रार्थी संख्या 1 ने दलजी वगैरा से क्रय की है । प्रार्थीगण के खाता संख्या 810/765 के खसरा नम्बर 3105 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा एवं खाता संख्या 811/766 के खसरा नम्बर 3102

Scanned by CamScanner

रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा की भूमि में से कुछ भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा जबरन अपनी भूमि में मिलाते हुए भवन निर्माण का कार्य प्रार्थीगण की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा करने की नियत से किया जा रहा है । यह कि प्रार्थीगण के कब्जे शुदा एंव खातेदारी भूमि पर अप्रार्थी द्वारा कब्जा करने की नियत से बाउण्डरीवॉल बनाई जा मकान की नींव भरी जा रही है साथ ही उनकी उपजाउ भूमि को बिगाडना चाहता है और स्वयं अप्रार्थी द्वारा उसे अपनी भूमि बताई जा रही है जबकि उक्त भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है । यह कि प्रार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि पर जबरन कब्जा करने की नियत से अप्रार्थी द्वारा मोके पर निर्माण किया जा रहा है जिससे प्रार्थीगण के हितो को नुकसान हो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति हो रही है जिसकी क्षतिपूर्ति नही की जा सकती है जिस कारण अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक हो किये गये निर्माण कार्य को ध्वस्त किया जाना अति आवश्यक है ।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के अन्त में विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा मौजा चितरी में प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3105 व 3102 पर विपक्षी किसी प्रकार का कब्जा करने की नियत से निर्माण कार्य न तो स्वयं एवं न ही अपने किसी एजेण्ट रिश्तेदार या ठेकेदार के द्वारा करवाये और किये निर्माण को अपने खर्च से हटावें बाबत जारी किए जाने का निवेदन किया गया है ।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र की पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए जमाबन्दी वर्तमान खाता संख्या 810/765 एवं 811/765 तथा नक्षा ट्रैस की नकल प्रस्तुत की है ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने नोटिस जारी किए गए । अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री मयंक दोशी का वकालतनामा दिनांक 6.5.2019 को प्रस्तुत होकर मूल वाद प्रकरण के संलग्न है । आज वक्त सुनवाई अप्रार्थी संख्या 1 एवं अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 को आवाज लगवाई गई ।अनुपस्थित होने से एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाकर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सूनी गई ।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए हमारा ध्यान पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी खाता संख्या 810/765 एवं 811/765 की ओर आकर्षित कर उल्लेख किया कि खसरा नम्बर 3105 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 3102 रकबा 1बीघा 4 बिस्वा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है । अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा खसरा संख्या 3101 कय किया गया है ,लेकिन अप्रार्थी खसरा संख्या 3101 से सटकर स्थित प्रार्थीगण के खसरा संख्या 3105 एवं 3102 में जबरन अतिकमण कर निर्माण कार्य कर रहा है । वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण के खाते की भूमि पर अतिकमण करने जबरन निर्माण करने से विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा ग्राम सागवाडा में प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3105 व 3102 पर विपक्षी किसी प्रकार का कब्जा करने की नियत से निर्माण कार्य न तो स्वयं एवं न ही अपने किसी एजेण्ट रिश्तेदार या ठेकेदार के द्वारा करवाये और किये निर्माण को अपने खर्च से हटावें बाबत जारी किए जाने का निवेदन किया जाकर बहस प्रार्थी अभिभाषक द्वारा समाप्त की गई ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया । आराजी संख्या 3102 एवं 3105 प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात

Scanned by CamScanner

होकर प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में एवं सुविधा संतुलन प्राथीगण के पक्ष में है अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्राथीगण की खाते की आराजीयात में जबरन अतिकमण कर निर्माण किया जाने से प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करने के अधिकारी है।

अतः अप्रार्थी संख्या 1 को ताफैसला मूल वाद के विपक्षी संख्या 1 के विरुद्ध इस आशय कीअस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा चितरी में प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3105 व 3102 पर विपक्षी किसी प्रकार का कब्जा करने की नियत से निर्माण कार्य न तो स्वयं एवं न ही अपने किसी एजेण्ट रिश्तेदार या ठेकेदार के द्वारा करवाये ।

आदेश आज दिनांक 13.5.2019 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमारु हो । नम्बर से कम हो ।

(मांगीलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner